रूचि की अभिव्यक्ति / **Expression of Intrest**

चिकित्सा निदेशक पमरे जबलपुर केन्द्रीय चिकित्सालय के द्वारा रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की सभी Radiology, Pathology, CT Scan, MRI, Sonography, Nuclear Imagaing, Mamography व अन्य जांचे जो कि **अनुसंलग्न** में सूची बध्द हैं, प्राइवेट सेन्टरों से सीजीएचएस दरों पर कराने हेतु आवेदन बुलाये जा रहे है।

जांचों की समस्त सूची तथा नियम व शर्तो की प्रति इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 20/02/2019 समय 13:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। व आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी 20/02/2019 समय 15:00 बजे तक है।

इसके पश्चात् जमा किये गये आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण व नियम व शर्तो को रेलवे वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।

नियम एवं शर्तेः– रेल नेट पर देखा जा सकता है– www.wcr.indianrailway.gov.in

कृते चिकित्सा निदेशक
केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर

-: केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर चिकित्सा विभाग विज्ञापन कं 04/2018:-

चिकित्सा निदेशक पमरे जबलपुर केन्द्रीय चिकित्सालय के द्वारा रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की सभी Radiology, Pathology, CT Scan, MRI, Sonography, Nuclear Imagaing, Mamography व अन्य जांचे जो कि **अनुसंलग्न** में सूची बध्द हैं, प्राइवेट सेन्टरों से सीजीएचएस दरों पर कराने हेतु आवेदन बुलाये जा रहे है। जिसके लिये यह विज्ञापन निकाला गया है।

जांचों की समस्त सूची तथा नियम व शर्तो की प्रति इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 20/02/2019 समय 13:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। व आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी 20/02/2019 समय 15:00 बजे तक है।

इसके पश्चात् जमा किये गये आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण व नियम व शर्तो को रेलवे वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।

नियम एवं शर्तें:- 'रेल नेट पर देखा जा सकता है- www.wcr.indianrailway.gov.in

नियम एवं शर्ते

1. केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपुर से रिफर किये गयें रोगीयों की निर्धारित सभी Radiology, Pathology, CT Scan, MRI, Sonography, Nuclear Imagaing, Mamography व अन्य जांचे जोकि **अनुसलंग्न में सूचीबध्द है**, प्राईवेट सेन्टर पर करानी हैं जिसमें रेडियोलॉजिस्ट/पैथोलॉजिस्ट अटैच हो, जिसके सुपरविजियन में ही जांचे हो और वह इन्हें हस्ताक्षरित करें। रिपोर्ट की गुणवत्ता उच्च होनी चाहियें। विशेषज्ञ को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेंगा।

2. सभी ऑफर में से सूक्ष्म निरीक्षण कर जो पार्टी सीजीएचएस व मानक दरों पर रेलवे की शर्तो के अनुसार कार्य करेगी उसे स्वींकार किया जायेगा।

3. अनुबंध तीन वर्षो हेतु चिकित्सा निदेशक पमरे जबलपुर द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

4. केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपुर से रोगी को 02 प्रतियों में रेफर पत्र दिया जायेंगा एक आपके द्वारा अपने पास रखा जायेंगा तथा रेफर पत्र की एक प्रति माह समाप्ति पर बिल के साथ लगाकर अगले माह के प्रथम कार्य दिवस में केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपरु कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें जीएसटी नंबर अवश्य रूप से दर्ज हो।

5. जांचों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से किया जायेंगा। दर संलग्न शेड्यूल अंको एवं शब्दों में आवश्यक रूप से लिखी जानी है। अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर निम्नतम दर स्वीकार की जायेगी।

6. सीजीएचएस लिस्ट के अलावा आपकी लैब/सेन्टर में होने वाली अन्य जांचों की हॉस्पिटल दर भी आप अपने ऑफर में देवे इस पर आवश्यकतानुसार विचार किया जा सकता है।

7. रोगीयों की जांचों की रिपोर्ट फिल्म के साथ यथासंभव 24 घंटे में दी जायें।

8. रोगीयों की पैथोलॉजी जांच के सैम्पल के लिये हर कार्य दिवस में एक टैक्नीशियन को केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर भेजना होगा जो ओपीडी एण्ड इंडोर दोनो जगहों से सैम्पल लेगें। इनका विवरण पैथोलॉजी विभाग में रखे रजिस्टर में दर्ज करेंगें और वहाँ जॉच की रिपोर्ट भी रिकार्ड के साथ यथासंभव उसी दिन लेगे।

9. रेफर किये गये मरीजों द्वारा शिकायत किये जाने पर या किसी जांच केन्द्र द्वारा शर्त का उल्लंगन करने या असंतोषप्रद कार्य करने पर अनुबंध को बिना कोई कारण बतायें निरस्त कर दिया जायेगा।

10. आपके द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई वाद–विवाद एवं कानूनी अड़चन उत्पन्न होती है तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी।

11. जांच कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध है तो जांच केन्द्र को इन्हे स्वीकृत दर पर अन्य जांच केन्द्र से रोगी जांच करवाकर देनी होगी जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

12. जांच रिपोर्ट, जांच सेन्टर के प्रिटेड पेज पर देनी होगी तथा जोकि विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित हो।

13. आकस्मिक स्थिती होने पर मरीजो हेतु आपके द्वारा एम्बुलेंस प्रदान करने की सुविधा देनी होगी।

14. सक्षम अधिकारी को अनुबंध बिना कारण बताये समय से पूर्व समाप्त करने/अवधि कम करने/अवधि बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. आपके केन्द्र की संबंधित जांचों के लिये सक्षम अधिकारी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक रूप से जमा करें। यदि आपकी लैब/रेडियोलॉजी सेन्टर एनएबीएल द्वारा रजिस्टर्ड है तो एनएबीएल का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. ऑफर देने का अंतिम निर्णय चिकित्सा निदेशक पमरे जबलपुर का होगा।

17. रेफर किये गये मरीजो से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा अर्थात् ये सुविधा पूर्णतः केसलेस होगी।

18. अनुबंध 30 दिनों में रेलवे के नियम एवं शर्तो पर करना होगा तथा उस समय के प्रचलित रेलवे के नियमों के अनुसार Single Specialty जॉच केन्द्रों से Empanelment के दौरान रूपये 50,000/- PG के रूप में एवं Multispecialty Diagnostic Centre (Both Pathological and Radiological) में Healthcare Organization के समान रूपयें 2,00,000/- के रूप जमा करने होंगे।

19. सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय यूनिट का निरिक्षण स्वयं या रेलवे चिकित्सा अधिकारी या रेलवे चिकित्सा टीम से कराया जा सकता है।

20. जब किसी केस में CT/MRI/Nuclear imaging हेतु निश्चेतन की आवश्यकता होती है तो आपको इसके लिये पहले रेल प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है।

21. नियम व शर्तो को रेलवे की वेबसाइट www.indianrailway.gov.in में देखा जा सकता है।

कृते चिकित्सा निदेशक
केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपुर

Sr.No.	**Annexure**
	INVESTIGATION
01	Nerve Conduction Velocity
02	Holter Monitoring
03	Sleep Study
04	TMT
05	Echocardiography
06	PFT
07	Pure Tone Audiometry
08	Impedance Audiometry
09	Target Scan, NT Scan, Obstetrics Scan / Anomaly Scan
10	Soft Tissue Sonography
11	Whole Abdomen Ultrasound
12	Upper Abdomen
13	Lower Abdomen
14	Color Doppler Studies, Upper Limb/ Lower Limb / Carotid
	Retinal (Posterior segment) Studies / Scan
01	Ocular Coherence Tomography
02	Visually Evoked Potential
03	Free Fluorescein Angiography
04	Electroretinography
	ß HCG Exam
01	Marker Studies – Triple Marker
02	Quadruple Marker
03	Cancer Marker Studies
	Other Test
01	Blood Culture
02	Alcohol Testing
03	Serum Drug Levels
04	Blood Trasfusion
05	EEG
All other Test done in your Centre with CGHS/ Hospital Rates may be given.	

4/2/19